


आवश्यक सूचना


संस्थान में अध्ययनरत समस्त आवासीय/दिवा छात्र एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वे यदि रैगिंग या अन्य किसी प्रकार की समस्या से पीड़ित हैं तो वे सहायता हेतु संस्थान प्रशासन समिति/रैगिंग निरोधी दस्ता आदि के संयोजक एवं सदस्यों को उनके मोबाइल नम्बरों/ई मेल पर अवगत करा सकते हैं।

निदेशक

संस्थान प्रशासन (सम्पर्क सूत्र)

क्रम	नाम	पद नाम	मोबाइल न०	ई-मेल आईडी
1	निदेशक कार्यालय		05122583221 05122581111	info@aith.ac.in
2	श्री गौरव चन्द्रा	डीन पी०डी०एफ	9453042766	gaurav@aith.ac.in
3	डा० राजेश कुमार	डीन छात्र कल्याण	9415067979	rajesh@aith.ac.in
4	श्री ओम हरी	एस०डी०न शैक्षणिक	8005495163	omhari@aith.ac.in
5	श्री मनीष सिंह राजपूत	एस०डी०न आई०आर०डी०सी	8005495170	msr@aith.ac.in
6	श्री संजय सिंह	छात्रावास अधीक्षक	8005495179	sanjay@aith.ac.in
7	श्रीमती ममता शर्मा	छात्रावास अधीक्षक महिला	8005494583	mamta@aith.ac.in
8	श्री कौशलेन्द्र कुमार	सुरक्षा अधिकारी	8005495181	kaushalendra@aith.ac.in
9	श्री धीरज कुमार पाण्डेय	सहायक कुलसचिव	8005495180	dl eeraj@aith.ac.in
10	श्री प्रमोद कुमार सिंह भदौरिया	व्यक्तिगत सहायक (निदेशक)	8005494582	pramod@aith.ac.in


(डॉ० राजेश कुमार)
चीफ प्रॉक्टर/डीन, छात्र कल्याण


(प्रो० बी०के० त्रिपाठी)
निदेशक


अनिवार्य नियम

(रैगिंग रोकथाम हेतु सम्बंधित समिति, दस्ते के पदाधिकारियों एवं सदस्यों हेतु सामान्य एवं अनिवार्य नियम)

1. रैगिंग निरोधी समिति की प्रत्येक बैठक में समस्त पदाधिकारियों, सदस्यों की प्रतिभागिता अनिवार्य होगी।
2. रैगिंग रोकथाम हेतु गठित विभिन्न दस्तों के संयोजकों द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया तथा उनके द्वारा विभिन्न सदस्यों को आवंटित दायित्वों हेतु एक रजिस्टर तैयार करना होगा। जिसे प्रत्येक सप्ताह के अन्त में रैगिंग निरोधी समिति के सदस्य सचिव के माध्यम से अध्यक्ष को अवलोकित कराना होगा।
3. प्रत्येक दस्ते को आवंटित छात्रावास के साथ-साथ उसके आसपास लगभग एक किलोमीटर की परिधि में आने वाले ऐसे सभी स्थानों को चिन्हित करके, वहाँ पर दस्ते के सदस्यों द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जायेगी, जहाँ पर छात्रों की जमावडा होने की संभावना रहती है।
4. छात्रावास के भीतर रैगिंग की प्रभावी रोकथाम की जिम्मेदारी संबंधित छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका, सहायक छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका की होगी।
5. अपरिहार्यता की स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर विशेष प्रकरण संस्थान में गठित रैगिंग निरोधी समिति को संदर्भित किये जा सकेंगे।
6. छात्रावास अधीक्षक/ संयोजक का दायित्व होगा कि संस्थान प्रशासन एवं रैगिंग निरोधी दस्ते के आवश्यक फोन नं० छात्रावास में नवप्रवेशित छात्रों के विंग में चस्पा कर दें।
7. प्रत्येक दस्ते के संयोजक को सप्ताह में एक बार अपने सदस्यों के साथ बैठक करके आवश्यक कार्यवाही की जायेगी तथा दायित्वों का आवंटन किया जायेगा।
8. छात्रावास में रैगिंग निरोधी नियमों से नवप्रवेशित छात्रों/पुरातन छात्रों को अनिवार्य रूप से अवगत कराना होगा।
9. संस्थान परिसर में कार्यदिवस, उसके उपरान्त, उसके पहले विभिन्न शिक्षकों/कर्मचारियों की ड्यूटी समय रहते उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रत्येक विभागाध्यक्ष/संयोजक, रैगिंग निरोधी दस्ता/छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका स्वयं के स्तर से यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी छात्र/छात्रा गंगा बैराज, बिदूर आदि दुर्घटना संभाव्य स्थान पर न जाए। यह पूर्णतया निषेध होगा।

क्रमशः-----

11. प्रथम वर्ष के छात्रों एवं छात्राओं का सायंकाल 7.00 बजे से सुबह 8.00 बजे तक छात्रावास से बाहर जाना वर्जित रहेगा। विशेष परिस्थितियों में छात्रावास अधीक्षक की अनुमति अनिवार्य है। आवश्यक सामान खरीदने हेतु रविवार या अवकाश के दिनों में छात्रावास अधीक्षक से लिखित अनुमति लेकर समूह में सुरक्षा गार्ड की निगरानी में भेजा जायेगा।
12. बाहरी व्यक्ति या वरिष्ठ छात्रों/छात्राओं का प्रथम वर्ष के छात्र/छात्राओं से मिलना छात्रावास या संस्थान परिसर में बिना अनुमति के मिलना प्रतिबंधित रहेगा।
13. प्रथम वर्ष के छात्र/छात्राओं को कक्षाओं/ छात्रावास परिसर से बाहर समूह में ही भेजा जायेगा।


(डॉ० राजेश कुमार)
चीफ प्रॉक्टर/डीन, छात्र कल्याण


(प्रो० बी०के० त्रिपाठी)
निदेशक